संख्याः 2135 /2020/सीएक्स-3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह(गोपन) अनुभाग-3

दिनांकः 01 अक्टूबर, 2020

विषयः गृह-मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 30 सितम्बर, 2020 कोविड-19 के दृष्टिगत कतिपय गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश (री-ओपेन)।

महोदय,

गृह-मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 30 सितम्बर, 2020 कोविड-19 के दृष्टिगत कतिपय गतिविधियों को प्रारम्भ करने (री-ओपेन) के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

उपरोक्त के क्रम में गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या 2007/2020/सीएक्स-3 दिनांक 30 अगस्त, 2020 को जारी निर्देशों को यथा संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किः-

1. **कन्टेनमेन्ट ज़ोन के बाहर अनुमन्य गतिविधियां-**

कन्टेनमेन्ट ज़ोन के बाहर निम्नलिखित गतिविधियां अनुमन्य होगी -

(i) समस्त स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य हेतु 15 अक्टूबर, 2020 के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। यह निर्णय स्कूल/संस्थान के प्रबन्धन से विचार-विमर्श कर एवं स्थिति का आंकलन कर एवं निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगाः-

(a) ऑन-लाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा एवं इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।

(b) जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे है एवं कुछ छात्र भौतिक रुप से कक्षाओं में शामिल होने के बजाए ऑन-लाइन कक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक है, तो उनको इसकी अनुमति दी जा सकती है।

(c) छात्र सम्बन्धित स्कूल/शैक्षणिक संस्थानों में अपने माता-पिता (अभिभावक) की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते है।

(d) स्कूल/शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति बिना माता-पिता (अभिभावक) के सहमति से अनिवार्य नहीं करायी जा सकती। यह माता-पिता (अभिभावक) की सहमति पर निर्भर होगा।

(e) स्कूल/शैक्षणिक संस्थानों को खोलने हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा Standard Operating Procedure (SOP) स्कूल, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के SOP के आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जारी की जाएगी।

(f) जिन स्कूलों को खोलने हेतु अनुमति दी जाएगी उनके द्वारा अनिवार्य रुप से शिक्षा विभाग द्वारा जारी SOP के प्राविधानों का अनुपालन किया जाएगा।

(g) उपरोक्त आधार पर जिला प्रशासन द्वारा शर्तों के अधीन सार्वजनिक पुस्तकालयों को खोलने की भी अनुमति देंगें।

(ii) महाविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों के खोलने के समय का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति एवं वर्तमान स्थिति का आंकलन करते हुए किया जाएगा। ऑन-लाइन/दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा व इसे प्राथमिकता दी जाएगी।

उच्च शिक्षा-संस्थानों जिनमें केवल Ph.D शोधार्थियों तथा परा-स्नातक के छात्रों जिनको विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं में प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हो, को 15 अक्टूबर, 2020 से खोलने की अनुमति निम्नानुसार होगीः-

(a) केन्द्र द्वारा वित्त पोषित उच्च शैक्षणिक संस्थान (Higher Education Institution) के प्रमुख स्वयं आंकलन करेंगे कि उनके संस्थानों में (Ph.D) शोधार्थी एवं परा-स्नातक छात्रों जोकि विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं से हो, को प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता है।

(b) इसके अतिरिक्त अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे कि शासकीय/निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को केवल शोधार्थी (Ph.D) एवं परा-स्नातक विज्ञान एवं तकनीकी विद्यार्थियों के प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यो के लिए खोलने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के उपरोक्त (a) के अनुसार गाइडलाइंस का पालन किया जाए।

(iii) तरण-तालों को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों (SOP) के अनुसार दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी।

(iv) कन्टेन्मेंट ज़ोन्स के बाहर सिनेमा/थिएटर/मल्टीपैलेक्स को अपनी निर्धारित दर्शकों के बैठने की क्षमता के अधिकतम 50% तक लोगों के बैठने हेतु, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों (SOP) के अनुसार, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी।

(v) मनोरंजन पार्क एवं ऐसे स्थलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों (SOP) के अनुसार दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी।

(vi) कन्टेन्मेंट ज़ोन के बाहर Business to Business (B2B) प्रदर्शनी को वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों (SOP) के अनुसार, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी।

(vii) कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर समस्त सामाजिक/शैक्षिक/खेल/मनोरंजन/साँस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को, अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए शुरू करने की अनुमति पूर्व में ही दी जा चुकी है। 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर, निम्न प्रतिबन्धों के अधीन, 15 अक्टूबर, 2020 से होगी:-

(a) किसी भी बन्द स्थान यथा; हॉल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50% किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

(b) किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

शासन द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत SOP अलग से जारी की जाएगी जिससे ऐसे स्थानों में इकट्ठा व्यक्तियों पर उचित पाबन्दी लगायी जा सके।

(viii) गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुमति को छोड़कर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राए प्रतिबन्धित रहेंगी।

2. **कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशक-**

कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशकों का अनुपालन किया जाए (**संलग्नक-1**)।

3. **लॉक डाउन केवल कन्टेनमेन्ट ज़ोन तक ही सीमित रहेगा:-**

(i) लॉकडाउन कन्टेनमेन्ट ज़ोन में 31 अक्टूबर, 2020 तक लागू रहेगा।

(ii) जिला प्रशासन द्वारा कन्टेनमेन्ट ज़ोन का निर्धारण माइक्रो लेवल पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरुप इस उद्देश्य से किया जाएगा कि संक्रमण श्रृंखला (Chain of Transmission) को तोड़ा जा सके। कन्टेनमेन्ट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।

(iii) कन्टेनमेन्ट ज़ोन/क्षेत्रों को सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा वेब साइट पर प्रदर्शित/नोटिफाइड किया जाएगा और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा गृह एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन को भी सूचित किया जाएगा।

4. **कन्टेनमेन्ट ज़ोन के बाहर किसी भी राज्य स्तर व अन्य स्तर के अधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना नही लगाया जाएगा।**

5. **अन्तर्राज्यीय(inter-state) एवं राज्य के अन्दर(intra-state) व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा:-**

अन्तर्राज्यीय(inter-state) एवं राज्य के अन्दर(intra-state) व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। पड़ोसी देशों के साथ की गयी संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

6. **SoP के साथ व्यक्तियों का आवागमन:-**

यात्री ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकालने से सम्बन्धित वन्दे-भारत और Air Transport Bubble flights द्वारा आवागमन की अनुमति SOPs के अनुसार जारी रहेगी।

7. **संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील (vulnerable) व्यक्तियों की सुरक्षा-**

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता (co-morbidity) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो, घरों के अन्दर ही रहेंगे।

8. **आरोग्य-सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग-**

(i) आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है।

(ii) कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए।

(iii) जिला-प्रशासन/प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे। इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।

9. **गाइडलाईन का कड़ाई से क्रियान्वयन-**

(i) समस्त जिलाधिकारी उपरोक्त दिशा-निर्देशों का आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगें।

(ii) सोशल-डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु धारा- 144 CrPC 1973 का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाए।

10. **दण्डात्मक प्रावधान-**

उपरोक्त दिशा-निर्देशों के किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर आपदा-प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। दण्डात्मक प्राविधानों के उद्धरण **(संलग्नक-2)** में दिये गए है।

उपरोक्त दिशा-निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुरुप चिकित्सा विभाग की ओर से जोनिंग गाइडलाईन्स जारी करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव, गृह